

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(25)राज/वाद/19. पार्ट-5

जयपुर, दिनांक 15-07-2021

:: आदेश ::

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकगण की सेवा अवधि में एतद्वारा वृद्धि की जाती है:-

क्र०सं०	नाम अभियोजक	पद नाम	सेवा वृद्धि
1	2	3	4
1	श्रीमती शबनम बानो	अपर लोक अभियोजक (महिला उत्पीडन) जोधपुर महानगर	दिनांक 25.11.20 से 30.11.21 तक भविष्य में सफलता के प्रतिशत में वृद्धि किये जाने की चेतावनी के साथ
2	श्री संजय कुमार वर्मा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक चौमू जिला जयपुर	दिनांक 19.03.21 से 31.03.22 तक भविष्य में सफलता के प्रतिशत में वृद्धि किये जाने की चेतावनी के साथ

आज्ञा से

५०
(हिमांकनी गौड)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

५०
15/7/21
(हिमांकनी गौड)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण